

**समाहरणालय, मधुबनी**  
(जिला योजना कार्यालय)

**स्वीकृत्यालय**

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत माननीय श्री पीतीश मिश्रा के द्वारा अनुसंधित योजनाओं का विस्तृत प्रतिवेदन (D.P.R) विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, झंझारपुर से झंझारपुर विधान सभा के अंतर्गत तकनीकी प्रस्ताव प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है। के आलोक में निम्नलिखित योजनाओं के नाम के सामने अंकित तकनीकी स्वीकृति की राशि मर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है तथा कार्यान्वयन का दायित्व विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, झंझारपुर को दिया जाता है। जो निम्न प्रकार है :-

वित्तिय वर्ष 2014-15

(राशि रुपये में)

क्र०	प्रखंड का नाम	योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	उपारंभित राशि कॉलम 5 का 80 प्रतिशत	योजना सं०/वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
	झंझारपुर	झंझारपुर प्रखंड के अंतर्गत पड़ी टोल गाँव में पूर्ण विद्युतीकरण तथा 100 क्वी०एम० का नया ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन कार्य।	893449.00	893449.00	714759.00	/2014-15
		<b>कुल</b>	<b>893449.00</b>	<b>893449.00</b>	<b>714759.00</b>	

कुल विमुक्ति राशि - सात लाख चौदह हजार सात सौ उनसठ रुपये मात्र।

- कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंता संगठन, कार्य प्रमंडल-02, झंझारपुर को निदेश दिया जाता है कि कॉलम 05 में अंकित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि का 80 प्रतिशत राशि कॉलम 06 में अंकित उपारंभित राशि मो० - 714759.00 रुपये मात्र विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, झंझारपुर को राशि विमुक्ति करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष 20 प्रतिशत राशि कार्य पूर्ण के उपरांत अधोहस्ताक्षरी के स्वीकृति आदेश के उपरांत विमुक्त किया जायेगा।

➤ शर्तें :-

- कार्यकारी एजेंसी परियोजनाओं/योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इसके लिए वे पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनाओं का कार्यान्वयन किसी अन्य मद से नहीं हो रहा है।
- कार्यकारी एजेंसी कार्य स्थल पर साईन बोर्ड, कार्य प्रारंभ होने के साथ लगायेंगे जिसमें योजना मद का नाम, अभिकर्ता का नाम, योजना प्रारंभ होने की तिथि, योजना पूर्ण होने की तिथि, परियोजना/योजना की प्राक्कलित राशि एवं योजना की एकरारनामा की राशि आदि अंकित रहेंगे।
- कार्यकारी एजेंसी परियोजना/योजना प्रारंभ किये जाने के पूर्व परियोजना/योजना स्थल का फोटोग्राफ/विडियोग्राफी करायेंगे और इसे अभिलेख में रखेंगे। एवं एक फोटोग्राफ जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
- योजना कार्य निविदा की तिथि से 03 माह के अन्दर पूर्ण करा ली जाय।
- कार्यकारी एजेंसी कार्य प्रारंभ होने के पश्चात प्रत्येक माह के दूसरी तारीख तक प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- कार्यपालक अभियंता, PWD कोड के सारें नियमों का अनुपालन करते हुए DPR (प्राक्कलन) के विशिष्टियों के अनुसार हर हालत में कार्यान्वयन करायेंगे।
- कार्यकारी एजेंसी किसी भी हालत में निजी जमीन पर परियोजना/योजना का कार्यान्वयन नहीं करायेंगे।
- कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता लगातार योजना का निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे एवं योजना के गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेवार होंगे।
- योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी को योजना सुनिश्चित करेंगे।
- योजना के पूर्ण होने के बाद संबंधित प्रशासी विभाग को योजना के संभारण हेतु हरथानांतरित करेंगे।
- इस कार्यक्रम के तहत सामग्रियों एवं सेवा के कय तथा अधिप्राप्ति के मामले में विचार विन

13. कार्यकारी एजेसी सर्वदक को कार्य प्रारंभ होने से पूर्व Structural Design उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

14. किसी भी योजना का Duplication नहीं हो।

15. योजना पत्र होने के तत्पश्चात् उपरोक्त प्रमाण पत्र मुख्य अभियंता (ग्रामिण) नरसिंह बिहार एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना द्वारा संबंधित जिले के कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंता संगठन का उपलब्ध करवाया जायेगा साथ ही उपरोक्त प्रमाण पत्र की ह्रासि से पूर्व से प्राप्त राशि को बैंक ह्रासि की राशि बनकर द्वारा की जायेगी।

जिला योजना पदाधिकारी,

मधुबनी।

झापांक : 901 / जि0यो0.

मधुबनी, दिनांक : 18 / 4 / 2014 ई0।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-02, झंझारपुर को सूचनाार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि की निकारी संबंधित ब्यागार से पूर्ण प्रमाणक युक्त विपत्र BTC-25 पर की जायेगी। पूर्ण प्रमाणक विपत्र के साथ प्रशासनिक स्वीकृत्वादेश, एकतरनामा के प्रति एव कार्यकारी एजेसी के कार्यपालक अभियंता से 80 प्रतिशत राशि का पूर्व प्राप्ति रसीद प्राप्त कर संलग्न किया जायेगा। तत्पश्चात् उल्लेखित योजना के सामने अंकित 06 में उपावृत्त 80 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्राफ्ट / RTGS के माध्यम से निम्न शाता संख्या में भेजना सुनिश्चित करेंगे। जो इस प्रकार है :-

Name of Account -- NBPDC-Deposit Work Account

SB A/C NO- 035210104206

IFSC Code -- CNRB0000352

Bank's Name- Canara Bank, South Gandhi Maidan Branch, Patna and

Bank Draft के माध्यम से -- North Bihar State Power Distribution Company Limited

Payable at patna के स्थानीय विद्युत कार्यपालक अभियंता को राशि भेजी जायेगी।

प्रतिलिपि :- विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, झंझारपुर डिमांड ड्राफ्ट / RTGS प्राप्ति रसीद की प्राप्ति स्थानीय कार्यलय से प्राप्त कर स्वीकृत प्रावकलन के प्रति के साथ मुख्य अभियंता (ग्रामिण) एन0बी0पी0डी0सी0एल0, पटना को मनी रसीद निर्गत करने हेतु भेजा जाय।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, मधुबनी को सादर सूचनाार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुर, झंझारपुर / लखनौर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय को संसूचित करने की कृपा की जाय।

जिला योजना पदाधिकारी,

मधुबनी।

18/4/14